न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 172 सन् 2013

पंजीयन दिनांक 21.11.2013

हरिशचन्द उर्फ भंवरलाल पिता नानुराम जाति जायसवाल निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट

विरुद्ध

1. श्रीमती सुषमा पत्नि सुरेशचन्द जाति जायसवाल निवासी मण्डावल तहसील आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 157/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2012

उपस्थित– 1. मुरधीधर चौधरी –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक 06.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी मे आराजी नम्बर 141 रकबा 0.87 हैक्टेयर आराजी नम्बर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर आराजी नम्बर 162 रकबा 1.48 हेक्टयेर कुल किता 3 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर व मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 423 रकबा 0.19 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा मृतक विमल कुमार पिता नानुराम जायसवाल निवासी बसेडा की खातेदारी मे दर्ज है। खातेदार विमल कुमार की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने से उक्त कृषि आराजीयात खातेदार विमल कुमार के बजाय उसकी पत्नि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 के नाम से दर्ज की गई। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं.1 के पति विमल कुमार पिता नानुराम जायसवाल के खातेदारी मे दर्ज होकर विमल कुमार की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने से विवादित कृषि आराजीयात जरिये विरासती नामान्तकरण सं. 206 रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी मे दर्ज की गई। खातेदार विमल कुमार के परिवार मे अपीलान्ट वादी भाई व उसकी माता सोहनीबाई वादिया नम्बर 1 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पत्नि है व इसके अलावा विमल कुमार के अन्य कोई संतान आदि नही है। विमल कुमार की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु होने पर अपीलान्ट वादी व उसकी माता ने उक्त आराजीयात मृतक की पत्नि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं.1 सुषमा के नाम पर दर्ज करवाई। कुछ समय पश्चात् ही रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपीलान्ट वादी के परिवार से अपना रिश्ता समाप्त कर जाति रिवाज के अनुसार सुरेश चन्द जायसवाल निवासी मण्डावल के साथ नाता विवाह कर लिया। सन् 1992 से ही रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं.1 अपने नातायत पति के साथ वैवाहिक जीवनयापन कर रही है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 का अपने पति विमल कुमार की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही रहा है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के जाति रिवाज अनुसार विवाह करते ही अपजे पूर्व पति विमल कुमार की सम्पत्ति एवं परिवार से स्वतः हक अधिकार समाप्त हो चुके है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 सन् 1992 से ही अपने नातायत पति के साथ रह रही है। वादग्रस्त कुलिया आराजीयात पर अपीलान्ट वादी व उसकी माता सोहनी जिसका वादपत्र के पश्चात् स्वर्गवास हो चुका है। मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। व वर्तमान मे अपीलान्ट वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के हक अधिकार समाप्त होकर मृतक की पत्नि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं.1 के द्वारा नाता विवाह कर लेने से मृतक विमल कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी अपीलान्ट वादी व अपीलान्ट की माता सोहनी बाई थी। वर्तमान मे सोहनी बाई का स्वर्गवास हो जाने से अपीलान्ट वादी उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, जिससे अपीलान्ट वादी कृषि आराजीयात की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 सुषमा की जानकारी मे मौके पर अपीलान्ट वादी का बतौर मालिक सन् 1992 से कब्जा होकर अपीलान्ट वादी ही फसल बोता है काटता है। गांव वालो रिश्तेदारो व आस-पडौसियान की जानकारी मे खुले रूप से अपीलान्ट वादी ही बतौर मालिक काबिज होकर काश्त कर रहा है। जिससे वह कृषि आराजीयात घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलान्ट वादी व सोहनीबाई (जिसका वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए स्वर्गवास हो गया है।) अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जरिये पंजीकृत डाक तामिल होकर प्राप्त हुआ। तामिल होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुई। अपनी ओर से दिनांक 12.10.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। दावा जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकियात कायमी हेतु नियत की गई व तनकियात कायम किये जाने से पूर्व ही अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 30.10.2012 को उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पढकर सुनाया गया व राजीनामे को सही होना मानते हुए तस्दीक किया गया है। राजीनामे की ताईद मे उसी दिन प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं.1 के राजीनामे की ताईद मे बयान लिये गये व उसके पश्चात् वादी अपीलान्ट व स्वतन्त्र गवाह मोहनलाल के बयान लिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपीलान्ट वादी व मृतक सोहनीबाई की ओर से प्रस्तुत वादपत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि रेस्पोडेन्ट

प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा व राजीनामा एक दुसरे के विरोधाभासी मानते हुए वाद वादी शहादत सबूत के अभाव मे खारीज किये जाने किये का निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी नम्बर 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.11.2015 को नोटिस तामील होकर शामिल मिसल की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व अपीलान्ट की माता श्रीमती सोहनी बाई ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी हेतु विचाराधीन थी कि दिनांक 30.10.2012 को उभयपक्षकारान की ओर से आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दिवानी के तहत राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसमे स्पष्ट किया गया कि वादिया सोहनी बाई की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुषमा के पूर्व पति विमल कुमार तथा अपीलान्ट हरिशचन्द उर्फ भंवरलाल आपस मे सगे भाई रहे है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं.1 के पति विमल कुमार की सड़क दूर्घटना मे मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया अपने पूर्व ससुराल बसेडा से सभी रिश्ते समाप्त कर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सुषमा ने गांव मण्डावल जिला रतलाम म.प्र0 निवासी सुरेश चन्द से सन् 1992 से नाता विवाह कर लिया और तब से प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सुषमा देवी सुरेश चन्द की पत्नि होकर गांव मण्डावल रहती है। सन् 1992 से ही रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया का पूर्व ससुराल बसेडा मे कोई सम्बन्ध रिश्ता नही रहा है। विमल कुमार की मृत्यु हो जाने से कृषि आराजीयात मे विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 का नाम अंकित हो गया है। मौजा बसेडा की आराजी नम्बर 141,143,162 एवं आराजी नम्बर 423 मे प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कोई हक अधिकार कब्जा भी नही रहा है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने जाति रस्म रिवाज अनुसार अपने समस्त हक अधिकारो का परित्याग कर प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने सुरेश चन्द से नाता विवाह कर लिया है जिससे मौजा बसेडा तहसील छोटी सादडी की आराजी नम्बर 141,143,162 एवं 423 अपीलान्ट वादी के तन्हा खातेदारी मे अंकित कर दी जावे। उक्त राजीनामा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उभयपक्षकारान के हस्ताक्षरयुक्त अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे नियत तारीख पेशी दिनांक 30.10.2012 को प्रस्तुत किया गया। उक्त राजीनामे को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजीनामे की पुस्त पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजीनामे को उभयपक्षकारान को पढकर सुनाया पढाया जिसे सुन समझकर दोनो पक्षो ने सही होना स्वीकार किया व उक्त राजीनामे पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया। उभयपक्ष की पहचान अधिवक्ता से करवाई जाकर उक्त राजीनामे को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त राजीनामे के ताईद मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 के बयान कलमबद्ध किये गये। उक्त बयानो मे भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामे

की ताईद कर राजीनामा करना रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने स्वीकार किया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट व स्वतन्त्र गवाह मोहनलाल के बयान लिये गये व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्शित किया गया व उभयपक्षकारान की राजीनामे अनुसार बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जवाबदावा व राजीनामा विरोधाभासी होना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया गया। जबकि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसको अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है व राजीनामे की ताईद मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 व वादी व स्वतन्त्र गवाह मोहनलाल के बयान करवाये गये व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये जिससे राजीनामा विधिनुसार होने से राजीनामे के विपरीत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजीनामे अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादी व उसकी माता सोहनी बाई की ओर से मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 141,143,162 कुल किता 3 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 423 रकबा 0.19 हैक्टेयर का 1/2 भाग रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के पति विमल कुमार जायसवाल निवासी बसेडा के नाम दर्ज रेकार्ड रही व विमल कुमार की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। सन् 1992 मे ही विमल कुमार की विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 पत्नि होने से नामान्तकरण सं. 206 स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने सन् 1992 मे ही पूर्व पति विमल कुमार के परिवार व सम्पत्ति को त्याग कर सुरेश चन्द जायसवाल निवासी मण्डावल तहसील आलोट की पत्नि बनकर सुरेश चन्द के साथ रह रही है। व सुरेश चन्द के साथ रहते हुए सन्तान भी है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने अपने जवाबदावे मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया था। उसके पश्चात् दिनांक 30.10.2012 को उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर आपसी राजीनामे के अनुसार विमल कुमार के नाम दर्ज आराजीयात जो विरासत से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 सुषमा के नाम जरिये विरासत दर्ज हुई। उक्त सभी कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी के हक मे डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामे से पूर्व वादिया नम्बर 1 सोहनीबाई जो कि अपीलान्ट वादी की माता रही है का स्वर्गवास हो चुका था जिससे अपीलान्ट वादी के पक्ष मे राजीनामा किया गया। उक्त राजीनामा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उभय पक्षकारान द्वारा आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दिवानी के प्रावधानो के अनुसार तस्दीक करवाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उक्त राजीनामे मे वर्णित तथ्यो की संतुष्टि के लिये दिनांक 30.10.2012 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 के बयान कलमबद्ध किये गये जिसमे भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने जो तथ्य राजीनामे के अंकित किये उसी के अनुरूप बयान कलमबद्ध कराये उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
नि

विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने स्वंय के बयान व स्वतन्त्र गवाह मोहनलाल के बयान कराये गये। बयानो मे बिना लेन-देन के राजीनामा करना अंकित किया है। तत्पश्चात् राजीनामे अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बहस सुनी जाकर जवाबदावा व उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को विरोधाभासी होना बताते हुए वादपत्र को शहादत सबूत के अभाव मे निरस्त किया गया है। अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे दस्तावेज प्रदर्शित कराये स्वतन्त्र गवाह मोहनलाल के बयान कराये व राजीनामे की ताईद के लिये अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादिया सं. 1 रेस्पोडेन्ट के बयान कलमबद्ध किये गये। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे विधिनुसार प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादपत्र डिक्री योग्य था व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे कही यह अंकित नही किया गया कि उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा विधिनुसार नही है। जबकि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दिवानी के अनुसार होकर विधिपूर्ण था। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र राजीनामे अनुसार डिक्री योग्य था जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी प्रकरण संख्या 157/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2012 निरस्त की जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजीनामा दिनांक 30.10.2012 स्वीकार किया जाकर मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 141 रकबा 0.87 हैक्टेयर आराजी नम्बर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर आराजी नम्बर 162 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.16 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 423 रकबा 0.19 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा वादी अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाकर राजीनामे अनुसार प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुषमा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना

अपील सं. 172/2013 /डिक्री

श्री हरिशचन्द्र उर्फ भंवरलाल पिता नानुराम जाति जायसवाल निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ बनाम (1) श्रीमती सुषमा पत्नि सुरेशचन्द जाति जायसवाल निवासी मण्डावल तहसील आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश
(2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी दि. 17-12-2012

प्रकरण सं. 157/09 अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 06-06-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर चौधरी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रेस्पो० सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित 3. भूरामल (स्व) का - राजकीय अभिभाषक रेस्पो. 2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि
अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी प्रकरण संख्या 157/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2012 निरस्त की जाकर अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजीनामा दिनांक 30-10-2012 स्वीकार किया जाकर मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 141 रकबा 0.87 हैक्टेयर आराजी नम्बर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर आराजी नम्बर 162 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.16 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 423 रकबा 0.19 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाकर राजीनामे अनुसार प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुषमा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि — रुपये हैं, — द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे — द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 06-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 06-06-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	